संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश
स खण्ड, प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन,
भोपाल 462004
☎ – (0755) 2551199, 2552003
फैक्स – 0755 2551387

क्र.ब्रिस्क / उ.स.वसूली / संविसं / 2013 / 815 .... भोपाल, दिनांक ~~07 12 2013~~
10-3-2014

प्रति,

कलेक्टर (समस्त),
मध्य प्रदेश,
....

विषयः– बैंकों की अतिदेय राशि की वसूली हेतु तहसील स्तर पर फोरम के गठन बावत्।

=0=

प्रदेश में बैंकों की अतिदेय राशि की वसूली हेतु वसूलीतंत्र को सुदृढ़ करने हेतु गठित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उपसमिति की बैठक दिनांक 19 नवम्बर, 2013 में यह निर्णय लिया गया था कि बैंकों की अतिदेय राशि में दिन–प्रतिदिन हो रही वृद्धि की प्रभावी वसूली हेतु तहसील स्तर पर तहसीलदार की अध्यक्षता में एक फोरम का गठन किया जाय। उप–समिति की बैठक के उक्त निर्णय के संदर्भ में बैंकों की अतिदेय राशि की वसूली हेतु तहसील स्तरीय फोरम का गठन निम्नानुसार किया जाता हैः–

1. **फोरम का सवरूपः–**

उक्त फोरम का स्वरूप निम्नानुसार रहेगा–

तहसीलदार	फोरम के अध्यक्ष
तहसील में कार्यरत सभी बैंकों के नोडल शाखा प्रबंधक अथवा बी0एल0बी0सी0 की सदस्य बैंक	सदस्य
तहसील स्तर पर शासकीय योजनाओं अंतर्गत वित्त पोषण हेतु प्रकरण तैयार कर अग्रेषित करने वाले विभाग के वरिष्ठतम् अधिकारी	सदस्य
जिले के अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा उक्त फोरम में तीन माह में से कम से कम एक बैठक में अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करना होगी	विशेष आमंत्रित सदस्य
विकासखण्ड स्तरीय बेंकर्स समिति का संयोजक बैंक	फोरम का संयोजक

2. **फोरम द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यः–**

i. तहसील स्तर पर लंबित आर0आर0सी0 की मासिक समीक्षा की जाना।
ii. तहसील स्तर पर लंबित आर0आर0सी0 के विरूद्ध मासिक लक्ष्य निर्धारित किये जाना। सामान्यत5, लक्ष्य कुल लंबित आर0आर0सी0 के 10 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये।
iii. तहसील स्तर पर वसूली हेतु निर्धारित मासिक लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति की समीक्षा की जाना।
iv. वसूली हेतु प्रतिमाह शिविर आयोजित करना।
v. फोरम के अध्यक्ष की अनुमति से कोई भी अन्य विषय।

..2

3. फोरम की बैठक की कालावधिः–
सामान्यतः फोरम की बैठक प्रतिमाह के प्रथम सप्ताह में आयोजित होगी। प्रथम सप्ताह में परिस्थितिवश संभव नहीं होने पर द्वितीय सप्ताह में अनिवार्यतः आयोजित की जाय।

4. फोरम द्वारा मासिक प्रतिवेदनः–
फोरम के संयोजक द्वारा निर्धारित प्रारूप में मासिक प्रगति प्रतिवेदन फोरम के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। फोरम अध्यक्ष द्वारा उक्त प्रगति प्रतिवेदन को जिला कलेक्टर को अग्रेषित किया जायेगा। जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा अपने जिले की समस्त तहसीलों के प्रगति प्रतिवेदन को संकलित किया जायेगा। प्रत्येक तिमाही पर संकलित प्रगति प्रतिवेदन को जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में एजेण्डा के रूप में शामिल किया जायेगा।

समस्त जिला कलेक्टर से अपेक्षा है कि उपरोक्त निर्देशों से समस्त तहसीलों के तहसीलदार को पालनार्थ अवगत कराया जाय।

7.3.2014

(आशीष उपाध्याय)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
सह आयुक्त
संस्थागत वित्त

पृ.क्र.ब्रिस्क / उ.स.वसूली / संविसं / 2013 / 815
भोपाल, दिनांक ~~07–12–2013~~ 10-3-2014

प्रतिलिपिः–
1. समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश।
2. समस्त सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / नायब तहसीलदार, म0प्र0।
3. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
4. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, म0प्र0, भोपाल।
5. राज्य स्तरीय प्रमुख, समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक।
6. राज्य स्तरीय प्रमुख, समस्त निजी क्षेत्र बैंक।
7. अध्यक्ष, समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, म0प्र0।
8. समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक, मध्य प्रदेश।

7.3.2014

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
सह आयुक्त
संस्थागत वित्त